

प्रेषक,

श्री संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- | | |
|---|--|
| 1. आवास आयुक्त,
उ. प्र. आवास एवं विकास परिषद्
लखनऊ। | 3. अध्यक्ष
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश। |
| 2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग-1 | 4. अध्यक्ष,
नियन्त्रक प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
लखनऊ : दि. 4 जुलाई 2003 |

विषय : रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य-योजना के अनुश्रवण हेतु संशोधित प्रपत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या : 3671 / 9-आ-1-17 विविध / 03 (आ. ब.) दिनांक 19 जून, 2003 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश के साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की रिपोर्टिंग हेतु प्रेषित एम. पी. आर. -22 के सम्बन्ध में विकास प्राधिकरणों से प्राप्त सुझावों के आधार पर शासन द्वारा निम्न संशोधन किए गए हैं-

- (i) कालम-13 के उपरान्त एक नया कालम जोड़ा गया है जिसमें बोर वेल, कुए, हैण्ड पम्प, आदि के रिचार्जिंग की प्रगति दर्शायी जाएगी।
- (ii) वाटर हार्वेस्टिंग पोटेन्शियल हेतु दिया गया फार्मूला निम्न से प्रतिस्थापित किया जाए-
$$\text{Water Harvesting Potential (cu.m)} = \text{Rainfall (m.)} \times \text{Area of catchment (sq.m.)} \times \text{Run off coefficient}$$
- (iii) विभिन्न प्रकृति की सतह हेतु Run off coefficient की वैल्यू निम्न होगी-

Runoff coefficient for various catchment surfaces

1. Roof Catchments	
* Tiles	0.8-0.9
* Corrugated metal Sheets	0.7-0.9
2. Ground surface coverings	
* concrete	0.6-0.8

* Brick pavement	0.5-0.6
3. Untreated ground catchments	
* Soil on slopes less than 10 per cent	0.0-0.3
* Rocky natural catchments	0.2-0.5
4. Untreated ground catchments	
* soil on slopes less than 10 per cent	0.0-0.3
* Rocky natural catchments	0.2-0.5

2. उपर्युक्त संशोधनों को समायोजित करते हुए एम. पी. आर. 22 की संशोधित प्रति संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि आगामी माह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य-योजना की प्रगति संशोधित प्रपत्र पर नियमित रूप से आवास बन्धु को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(संजय भूसरेड्डी)
विशेष सचिव

संलग्नक : उपरोक्तानुसार (एक पृष्ठ)।

संख्या : 4029 (1)/9-आ-1-17 विविध / 03 (आ. ब.) तद्दिनांक

प्रतिलिपि संलग्नकों सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर भारतीय सहकारी आवास निगम लि.।
5. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूजल परिषद्, लखनऊ क्षेत्र।
6. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. सदस्य / सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण निन्त्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश।
8. अध्यक्ष, यू. पी. रेडको।
9. अध्यक्ष, आर्कीटेक्ट्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
(संजय भूसरेड्डी)
विशेष सचिव